न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 83/2016 **दायरा दिनांक : 10.02.2016**

उनवान

बाबू लाल आयु 51 वर्ष पुत्र कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी पचलावडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– कजोड़ पुत्र गोपाल, जाति सहरिया, निवासी बादीपुरा हाल निवासी इकलेरासागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– रामदयाल पुत्र गोपाल, जाति सहरिया, निवासी बादीपुरा हाल निवासी इकलेरासागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– कालू पुत्र गोपाल, जाति सहरिया, निवासी बादीपुरा हाल निवासी इकलेरासागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4– कन्हैया लाल पुत्र गोपाल, जाति सहरिया, निवासी बादीपुरा हाल निवासी इकलेरासागर, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5– मांगी बाई पुत्री गोपाल जाति सहरिया, निवासी श्यामपुरा, तहसील बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री के के शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.03.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 105/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय करते हुए अपीलांट का वादपत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों से परे होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का समुचित विवेचन नहीं करके उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पचलावडा, तहसील किशनगंज की आराजी खाता नम्बर नई 11 पुरानी 10 खसरा नम्बर 82 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित है जिस पर अपीलांट एवं उसके पिता कन्हैया लाल पुत्र श्रवणलाल का 45 साल से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता के कब्जे काश्त की आराजी है । अपीलांट व उसके पिता का उक्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त होने के बावजूद रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 के पिता गोपाल वल्द कल्ला को वर्ष 1975 में आवंटन कर दी जबकि उसने उक्त आराजी को की काश्त नहीं किया एवं अपीलांट व उसके पिता का उक्त आराजी पर कब्जा वास्तविक रूप से बना रहा एवं इस प्रकार एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलांट उक्त आराजी पर रिकार्डेड खातेदार घोषित करवा पाने का अधिकारी है । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63(4) की विधिक व आज्ञापक शर्तों के अनुसार रेस्पोडेंटगण एवं उनके पिता के खातेदारी अधिकार पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील के तथ्य विधि मान्य नहीं है और सेक्शन 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की भावना के विपरीत है, अतः अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा